

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—स. 3(3)(1) स्था/मंत्रा./अभि./2017/पार्ट-1/ 1439-54

दिनांक:— 29-1-18

—: आदेश :—

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 11.07.2017 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री रंगलाल गवारिया	लिपिक ग्रेड-द्वितीय अभियोजन विभाग	20.02.56	एडीपी सीकर	प्रथम बार
2.	श्री सत्यस्वरूप शर्मा	सहा. कार्यालय अधीक्षक अभियोजन विभाग	12.07.57	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
3.	श्री अशोक सिंह	कार्यालय सहायक, न्याय विभाग	02.01.55	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
4.	श्री अनिरुद्ध व्यास	लिपिक ग्रेड-द्वितीय न्याय विभाग	28.09.57	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
5.	श्री राकेश कुमार शर्मा	उप कारागार, जेल विभाग	02.07.57	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
6.	श्री कन्हैया लाल प्रजापत	रीडर, न्याय विभाग	24.07.57	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
7.	श्री रुस्तम अली	भू अभिलेख निरीक्षक, राजस्व (कलेक्टर) विभाग	25.01.57	एडीपी टोंक	प्रथम बार
8.	श्री बंजरग लाल यादव	भू अभिलेख निरीक्षक, राजस्व (कलेक्टर) विभाग	01.09.57	एडीपी टोंक	प्रथम बार
9.	श्री अशोक कुमार जैन	सहायक निदेशक एस.आई. एव पी.एफ. विभाग	19.03.55	एडीपी द्वितीय जयपुर	प्रथम बार
10.	श्री मौहम्मद असलम खान	रीडर, न्याय विभाग	21.01.54	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
11.	श्री गुलाम हुसैन	सीनीयर रीडर, न्याय विभाग	15.05.55	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
12.	छीतर मल गुर्जर	कानिस्टेबल पुलिस विभाग	15.03.57	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार

13.	श्री रामचन्द्र शर्मा	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	09.07.55	एडीपी उदयपुर	द्वितीय बार
-----	----------------------	----------------------------------	----------	--------------	-------------

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 11.07.2017 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाए किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00008/H-10/ दिनांक 15.01.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
5. लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली।

21/6/29.1.10
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर